

न्यायालय—सिविल जज सी०डि०,खीरी।

मुत०दी०सं० 108/22

कम्प्यूटर सं० 141/22

सुमन देवी

बनाम

जा० मृतक जराखन लाल आदि

19-1-23

पुकार पर वादी उपस्थित।

आदेश

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र तैयार किया गया। इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली दाखिल अभिलेखागार दीवानी हो।

सिविल जज सी०डि०,
खीरी।